संख्या- 74/2250/बयालिस-2015-45(बजट)/2014टी0सी0-।

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 19 अक्टूबर,2015**

विषय- निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय इण्डोर स्टेडियम, सैफई इटावा के प्ले ग्राउण्ड एवं दर्शकदीर्घा के वातानुकूलन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 973/नि0सैफई विद्युत स्टे0 पत्रा0/2015-16, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 2786/बयालिस-2014-45(बजट)2014 टी0सी0-। दिनांक 25 मार्च,2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय इण्डोर स्टेडियम, सैफई इटावा के प्ले ग्राउण्ड एवं दर्शकदीर्घा के वातानुकूलन के सम्बन्ध में सैफई में स्टेडियमों के निर्माण मद में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 7500.00 लाख में से रू0 693.96 लाख की स्वीकृति निर्गत करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 693.96 लाख (रू0 छः करोड़ तिरानबे लाख छियानबे हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य निर्धारित विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(5)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

(6)- प्रश्नगत प्रायोजना विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 2786/बयालिस-2014-45(बजट)2014 टी0सी0-। दिनांक 25 मार्च,2015 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

http://srisanadesh.up.nic.in

(7)- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण 02 किश्तों में किया जायेगा प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर दूसरी किश्त अवमुक्त की जाये ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-86-सैफई में स्टेडियमों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- 2250(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, सैफई।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in